

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एम. 19-125/1995/1/4

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 1995

प्रति,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :—पंचायत स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में उपस्थित रहने संबंधी

राज्य शासन सत्ता विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत स्थापित नई त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सत्ता का वास्तविक केन्द्र बनाने के लिये संकल्पित है। इसी आधार पर जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार दिये जाकर अधिकार सम्पन्न एवं प्रभावी बनाया गया है।

2. शासन के ध्यान में लाया गया है कि जिलों में विभिन्न स्तरों पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी जिला/जनपद पंचायत तथा उनके अधीन गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में उपस्थित नहीं होते और न ही उनके निर्णयों पर सजगता से कार्यवाही की जाती है। यह स्थिति दुःखद है।

3. शासन चाहता है कि इस प्रकार की बैठकों में संबंधित जिला अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक रूप से उपस्थित रहना चाहिए। वे नियमित रूप से बैठकों में भाग लें तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों का शासन के निर्देशानुसार सजगता के साथ पालन सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(एन. एस. सेठी)

मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एम. 19-125/1995/1/4

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 1995

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4. माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
6. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित.

हस्ता./-

(सीमा शर्मा)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग.